रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2012/ज्येष्ठ 1, 1934
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2012/JYAISTHA 1, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2012

फा. सं. एपीडा/प्रशा/रिक/25/2011.— कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संशोधित (भर्ती) - 2011 एतद्द्वारा निम्न प्रकार से संशोधित है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) पुनरीक्षित संशोधित विनियम 2012 से परिभाषित किया जाए।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, (भर्ती) संशोधित विनियम 2011 में :-

(क) पद संख्या 5(सहायक महाप्रबंधक) के कालॅम संख्या 12 की अनुसूची में संशोधन

के स्थान पर	इस रूप में पढ़ा जाए
1. लेखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव एवं फील्ड अधिकारी, वरीष्ठ कार्यलय कार्यपालक, लेखापाल, कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य करने का आठ वर्षों का अनुभव।	1. लेखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव एवं फील्ड अधिकारी, वरीष्ठ कार्यलय कार्यपालक, लेखापाल, कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष एवं **कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक** के पद पर कार्य करने का आठ वर्षों का अनुभव।

(ख) पद संख्या 17 (कार्यपालक ईडीपी) के कालॅम संख्या 11 एवं 12 की अनुसूची में संशोधन

के स्थान पर	इस रूप में पढ़ा जाए
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा **प्रतिनियुक्ति** क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 3 वर्षो का नियमित अनुभव । टिप्पणीः प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे । कालम संख्या 12 सहायक कार्यपालक/नकद कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 3 वर्षो का अनुभव	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण **प्रतिनियुक्ति** क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 3 वर्षो का नियमित अनुभव । लागू नहीं

(ग) पद संख्या 2(क)[महाप्रबंधक(आई पी आर, डब्लू टी ओ, अवसंरचना)] के कालॅम संख्या 8 की अनुसूची में संशोधन

के स्थान पर	इस रूप में पढ़ा जाए
आवश्यकः 1.प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2.प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबधित कार्य में 15 वर्षो का अनुभव जिनमे से 5 वर्ष का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटन्टो एवं भौगोलिक संकेतो (जी आई) इत्यादि के कानूनी पंजीकरण में अनुभव । **वांछनीयः** 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 3. आई पी आर, डब्लू टी ओ संबंधी विषयों का ज्ञान 4. कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान	**आवश्यकः** 1.प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विज्ञान/खाद्य तकनीकी में स्नातकोत्तर डिग्री 2.राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक निकाय/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन में आई पी आर/ डब्लू टी ओ/एस पी एस/टीबीटी/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली/ अवसंरचना में प्रबंधक के स्तर पर दस वर्षो का अनुभव **वांछनीयः** 1. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई अथवा प्रतिष्ठित संस्था से आई पी आर/ डब्लू टी ओ/एस पी एस/टीबीटी मामलों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र 2. कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री 3. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 4. कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान

(घ) पद संख्या 4(क)[उपमहाप्रबंधक(आई पी आर/डब्लू टी ओ/टी बी टी)] के कालॅम संख्या 8 की अनुसूची में संशोधन

के स्थान पर	इस रूप में पढ़ा जाए
आवश्यकः 1.प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री	**आवश्यकः** 1.प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विज्ञान/खाद्य तकनीकी मे स्नातकोत्तर डिग्री

2.प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान से संबधित कार्यो में 10 वर्षों का अनुभव जिनमे से 5 वर्ष का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटन्टो एवं भौगोलिक संकेतो (जी आई) इत्यादि के कानूनी पंजीकरण में अनुभव । 4. कम्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान **वांछनीयः** 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादो का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 3. आई पी आर/ डब्लू टी ओ संबंधी विषयों का ज्ञान	2.राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक निकाय/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन में आई पी आर/ डब्लू टी ओ/एस पी एस/टीबीटी/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली/ अवसंरचना में पर्यवेक्षक के स्तर पर सात वर्षों का अनुभव 3. कम्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान **वांछनीयः** 1. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई अथवा प्रतिष्ठित संस्था से आई पी आर/ डब्लू टी ओ/एस पी एस/टीबीटी मामलों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र 2. कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री 3. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

(ड.) पद संख्या 5(च)[सहायक महाप्रबंधक(आई पी आर/डब्लू टी ओ/टी बी टी)] के कालॅम संख्या 8 की अनुसूची में संशोधन

के स्थान पर	इस रूप में पढ़ा जाए
आवश्यकः 1.प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2.प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान से संबधित कार्यो मे 5 वर्षों का अनुभव जिनमे से 5 वर्ष का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटन्टो एवं भौगोलिक संकेतो (जी आई) इत्यादि के कानूनी पंजीकरण में अनुभव । 4.कम्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान **वांछनीयः** 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियो एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान	**आवश्यकः** 1.प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विज्ञान/खाद्य तकनीकी में स्नातकोत्तर डिग्री 2.राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक निकाय/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन में आई पी आर/ डब्लू टी ओ/एस पी एस/टीबीटी/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली/ अवसंरचना में पर्यवेक्षक के स्तर पर 5 वर्षों का अनुभव 3. कम्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान **वांछनीयः** 1. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 2. कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री 3. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

असित त्रिपाठी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/166/12]

फुटनोट :

प्रमुख विनियम अधिसूचना संख्या. एपीडा/प्रशा/रिक/25/2001 दिनांक 28 अप्रैल 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2012

F. No. APEDA/ADM/REC/25/2011.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, hereby amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Revised Regulations-2011 in the following manner namely:-

1. (1) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Revised amendment Regulations – 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, (Recruitment) Revised Regulations – 2011:-

(A) Amendment to the schedule at column no. 12 of the post no. 5 (Assistant General Manager)

For	To be read as
(1) With 5 years regular service on the posts of Manager Accounts and Executive Secretary to Chairman and with 8 years regular service on the posts of Field Officer, Sr. Office Executive, Accountant, Executive Officer (EDP) and Librarian.	(1) With 5 years regular service on the posts of Manager Accounts and Executive Secretary to Chairman and with 8 years regular service on the posts of Field Officer, Sr. Office Executive, Accountant, Executive Officer (EDP), Librarian and **Junior Hindi Translator.**

(B) Amendment to the schedule at column no. 11 and 12 of the post no. 17 (Executive EDP)

For	To be read as
By promotion failing which by transfer/ deputation failing both by direct recruitment. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) with three years regular service in one stage below post Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	By direct recruitment failing which by transfer/deputation. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) with three years regular service in one stage below post.

Column No. 12 With three years regular service on the post of Personal Executive/ Assistant Executive/ Cash Executive.	N/A

(C) Amendment to the schedule at column no. 8 of the post no. 2(a) [General Manager (IPR, WTO, Infrastructure)]

For	To be read as
Essential (1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Fifteen years experience in the field of work related to Agricultural Science and Infrastructure related projects out of which minimum 7 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. **Desirable** (1) Knowledge of agricultural science and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures (3) Knowledge about the matters related to WTO/IPR (4) Working knowledge in Computer Applications	**Essential** (1) Master's Degree in Science/Food Technology from a recognised university. (2) Ten years experience in Managerial level in the field of WTO/IPR/SPS/TBT/ Quality Management System/ Infrastructure in State/ Central Govt./ PSU/ Autonomous/ private organization. **Desirable** (1) Graduation in Law (LL.B) from a recognized university or certificate of specialized training on WTO/IPR/SPS/ TBT matters from a recognized institution. (2) Degree in Agricultural Science (3) Knowledge about import and export policies and procedures. (4) Working knowledge in Computer Applications

(D) Amendment to the schedule at column no. 8 of the post no. 4(a) [Deputy General Manager (WTO/TBT/IPR/]

For	To be read as
Essential (1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Ten years experience in the field of work related to Agricultural Science out of which minimum 5 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. (4) Working knowledge in Computer Applications	**Essential** (1) Master's Degree in Science/Food Technology from a recognised university. (2) 7 years experience in Supervisory level in the field of work related to WTO/IPR/SPS/ TBT/ Quality Management System/ Infrastructure in State/ Central Govt./ PSU/ Autonomous/ private organization. (3) Working knowledge in computer applications.

1812 96\12-2

Desirable (1) Knowledge of agricultural science and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures (3) Knowledge about the matters related to WTO/IPR	**Desirable** (1) Graduation in Law (LL.B) from a recognized university or certificate of specialized training on WTO/IPR/SPS/ TBT matters from a recognized institution. (2) Degree in Agricultural Science (3) Knowledge about import and export policies and procedures

(E) Amendment to the schedule at column no. 8 of the post no. 5(f) [Assistant General Manager (WTO/TBT/IPR)]

For	To be read as
Essential (1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Ten years experience in the field of work related to Agricultural Science out of which minimum 5 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. (4) Working knowledge in Computer Applications **Desirable** (1) Knowledge of agricultural produce and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures	**Essential** (1) Master's Degree in Science/Food Technology from a recognized university. (2) Five years experience in Supervisory level in the field of work related to WTO/IPR/SPS/ TBT/ Quality Management System/ Infrastructure in State/ Central Govt./ PSU/ Autonomous/ private organization. (3) Working knowledge in computer applications. **Desirable** (1) Graduation in Law (LL.B) from a recognized university (2) Degree in Agricultural Science (3) Knowledge about import and export policies and procedures

ASIT TRIPATHY, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./166/12]

Footnote :—The Principal Regulation was published by notification F. No. APEDA/Admn./REC/25/2001 dated 28th April, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.